



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-08072026-274276  
CG-RJ-E-08072026-274276

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3531]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3531]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3693(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित परियोजनाओं को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
(1)	उत्तर पश्चिम रेलवे के लूणी-मारवाड़ खंड (71.62 किमी) का दोहरीकरण	राजस्थान

[फा. सं. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. 25]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS****[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 7th July, 2026

**S.O. 3693(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (37 A) of section -2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the table in the state as mentioned in column (3) of table as special Railway project with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**TABLE****Special Railway Project**

Sr. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
(i)	Doubling Between LUNI-MARWAR Section (71.62 km) of North Western Railway	Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]  
VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer (Const.)